



प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनांक-12.05.2025

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 117/2025 धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशांदेही पर आलाकत्ल एक डण्डा बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक

11.05.2025 को
थाना दोघट पर
वादी श्री लोकेन्द्र
पुत्र सत्यवीर सिंह
निवासी पट्टी मादान
कस्बा व थाना
दोघट जनपद
बागपत ने सूचना दी
कि अभियुक्त सचिन



पवाँर पुत्र जितेन्द्र निवासी पट्टी मादान कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत के द्वारा पैतृक मकान के बंटबारे के विवाद को लेकर उसके पिता सत्यवीर सिंह की चारपाई पर लेटते समय हाथ में लिये डण्डे से उनके सिर पर जान से मारने की नीयत से प्रहार कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया, जिनको मेडिकल कॉलेज मेरठ ले जाने पर डाक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 117/2025 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 117/2025 धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त की निशांदाही पर आलाकत्ल एक डन्डा बरामद हुआ है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सचिन पवार पुत्र जितेन्द्र निवासी पट्टी मादान करबा व थाना दोघट जनपद बागपत।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं अपने संयुक्त परिवार में पट्टी मादान करबा दोघट में रहता हूँ। मेरे बाबा सत्यवीर पुत्र भंवर सिंह के तीन पुत्र हैं, जिसमें मेरे पिता जी जितेन्द्र सिंह की पूर्व में मृत्यु हो गयी है तथा मेरे चाचा लोकेन्द्र व देवेन्द्र के साथ मैं अपने बच्चों को लेकर बाबा सत्यवीर के पैतृक मकान में ही रहता हूँ। इसी संयुक्त मकान के बंटबारे को लेकर मेरा विवाद अपने बाबा सत्यवीर तथा चाचा देवेन्द्र व लोकेन्द्र के साथ चल रहा था। मैंने अपने बाबा से तीनों के हिस्से बराबर-बराबर करने के लिए कहा था, किन्तु वो इससे सहमत नहीं थे और वह हमें मकान के पीछे की ओर हिस्सा देना चाहते थे। इसी बात को लेकर दिनांक 10.05.2025 को मैंने शाम करीब 06 बजे मकान की गैलरी में चारपाई पर लेट रहे अपने बाबा सत्यवीर सिंह पर जान से मारने की नीयत से उनके चेहरे व सिर पर डन्डे से प्रहार कर दिया और मैं मौके से भाग गया था।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ०नि० वीरेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।
- 2- है०का० 118 अश्वनी कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।
- 3- का० 1060 गौरव कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 12.05.2025

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 87/2025 धारा 191(2)/191(3)/190 /115(2) /352 /351(3) /109(1) बीएनएस व 7 सीएल एक्ट से सम्बन्धित 10 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त

विवरण-

दिनांक

11.05.2025

को वादी थाना

चांदीनगर

पुलिस को

सूचना प्राप्त हुई



कि ग्राम गढीकलंजरी थाना चांदीनगर में प्रथम पक्ष के पालेराम पुत्र बलीराम व द्वितीय पक्ष के अनूप पुत्र धर्मवीर अपने-अपने व्यक्तियों के साथ मिलकर एक राय होकर लाठी-डंडों से लैस होकर एक दूसरे पर जान से मारने की नीयत से मारपीट कर रहे हैं व एक-दूसरे पक्ष को गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी, जिससे गांव की आम जनता में भय का माहौल व्याप्त हो गया । इस सूचना पर थाना चांदीनगर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा पुलिस व ग्रामवासियों द्वारा समझाने का प्रयास किया गया लेकिन नहीं माने । इस सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 87/25 धारा 191(2)/191(3)/190 /115(2) /352/351(3)/109(1) बीएनएस व 7 सीएल एक्ट पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 87/25 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(3)/109(1) बीएनएस व 7 सीएल एक्ट से सम्बन्धित 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1-पालेराम पुत्र बलीराम निवासी ग्राम गढी कलंजरी थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 2-बलराज पुत्र बलीराम निवासी ग्राम गढी कलंजरी थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 3-अंकित पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम गढी कलंजरी थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 4-राजेन्द्र पुत्र रमेश निवासी ग्राम गढी कलंजरी थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 5-धीरेन्द्र पुत्र नवल किशोर निवासी ग्राम गढी कलंजरी थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 6-रितिक पुत्र प्रताप निवासी ग्राम गढी कलंजरी थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 7-हनी पुत्र अजीत निवासी ग्राम गढी कलंजरी थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 8-प्रवेश पुत्र राजपाल निवासी ग्राम गढी कलंजरी थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 9-हर्ष पुत्र अजीत निवासी ग्राम गढी कलंजरी थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 10-सौरभ पुत्र राजपाल निवासी ग्राम गढी कलंजरी थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री कृष्णवीर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री दिग्विजय सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 3-उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 4-है0का0 186 इमरान खान थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 5-है0का0 490 आशीष कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 6-का0 1014 कुलदीप कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 7-का0 883 उमाशंकर थाना चांदीनगर जनपद बागपत।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 12.05.2025

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद हुआ है ।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नौशाद पुत्र ताहिर निवासी मौहल्ला पठानकोट कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री आशीष कुमार थाना बड़ौत ।
- 2-है०का० 65 महीपाल सिंह थाना बड़ौत ।
- 3-का० 142 दीपक कुमार थाना बड़ौत ।
- 4-का० 984 दीपक शर्मा थाना बड़ौत ।





प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 12.05.2025

थाना चांदीनगर पुलिस ने 04 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये



जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-रिजवान पुत्र हमीद निवासी नरेला दिल्ली ।
- 2-हारून पुत्र हमीद निवासी नरेला दिल्ली ।
- 3-हमीद पुत्र बाबू निवासी नरेला दिल्ली ।
- 4-दीपक भाटी पुत्र जयप्रकाश निवासी ग्राम खैला थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अमर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 2-म0उ0नि0 राधा थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 3-का0 1103 संजय कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना खेकड़ा

दिनांक 12.05.2025

थाना खेकड़ा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है ।



उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 153/25 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया है एवं आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सफीक उर्फ कालू पुत्र इदरीश निवासी करबा रटौल थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण:-

- एक अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री सुजीत कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 संजय सिंह थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 392 उमेश भाटी थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 4-का0 789 योगेन्द्र कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 5-का0 685 दीपक कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।